


प्रारूप

परिपत्र संख्या 7/8-9

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में नवीन सड़क निर्माण कार्यो एवम् सड़क उन्नयनीकरण/नवीनीकरण/चौड़ाईकरण के कार्यो में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण भी किया जायेगा एवम् सड़क की डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरीयड के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक पौधों का रख-रखाव भी उसी संवेदक द्वारा किया जाएगा।

अतः भविष्य में सड़क निर्माण से सम्बन्धित तखमीनों में वृक्षारोपण के कार्य एवम् उसके रख-रखाव का भी प्रावधान रखना सुनिश्चित करें जिससे राज्य सरकार द्वारा किये गए निर्णय की पालना की जा सके। यह प्रावधान सभी योजनाओं के सड़क कार्यो पर लागू होंगे।

 5.5.08

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव

प्रतिलिपि निम्ननांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता सड़क/प्रथम/द्वितीय/राष्ट्रीय राजमार्ग/पीएजीएसवाई, सा.नि.वि., राज., जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संभाग.....समस्त।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत.....समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड.....समस्त।

 5.5.08

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव